

General Election of Vidhan Sabha -2009
Most Immediate / Date Bound

No.4/78/2009-1Election
Government of Haryana
Chief Secretary Office
(Election Branch)

Dated Chandigarh, the 9th September, 2009.

To

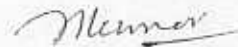
1. The Financial Commissioner & Principal Secretary to Govt., Haryana,
Home Department.
2. The Director General of Prison, Haryana.
3. The Director General of Police (CID), Haryana
4. All Divisional Commissioners in Haryana.
5. All Deputy Commissioners in Haryana.

**Subject: - General Election to Haryana Vidhan Sabha Election, 2009- Use of vote by the
detune voters.**

Sir/Madam,

I am directed to refer to the subject noted above and to enclose herewith a copy of letter No.Elec-2009/2AE-7259, dated 02.09.2009 received from the Chief Electoral Officer, Haryana for immediate and necessary action. It is requested to ensure the compliance of the instructions contained in the enclosed letter and relevant information may be furnished to the Chief Electoral Officer, Haryana under intimation to the Government.

Yours faithfully,

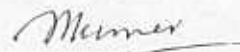


(Naresh Kumar)
Superintendent Election.

Endst.No.4/78/2009-1Election

Dated Chandigarh, the 9th September, 2009.

A copy is forwarded to the Chief Electoral Officer, Haryana, Chandigarh with reference to his letter No. No.Elec-2009/2AE-7259, dated 02.09.2009 for information and necessary action.



(Naresh Kumar)
Superintendent Election.

CC: -

- 1 PS/CS
- 2 PS/PSCM
- ✓ 3. Director, NIC

हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2009

अतिआवश्यक/तिथिबद्ध

क्रमांक निर्वाचन-2009/2ई - 7259

प्रपत्र

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हरियाणा ।

सवा में

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

2. महा निदेशक, कारागार,
हरियाणा, सैक्टर-14, पंचकूला ।

3. महानिरीक्षक, पुलिस, खुफिया विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।

निर्वाचन शाखा
कम सख्या...2067...
दिनांक...08/11/09...

दिनांक: चण्डीगढ़ - 2 सितम्बर, 2009.

विषय:- हरियाणा विधानसभा आम चुनाव, 2009 - निवारक नजरबन्द मतदाताओं द्वारा
मताधिकार का प्रयोग ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने के निर्देश हुए हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा
विधानसभा आम चुनाव 2009 के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया है:-

- | | | |
|---|--|------------|
| 1 | निर्वाचन क्षेत्रों को समाहृत करने की तिथि | 18.9.2009 |
| 2 | नाम निर्देशन पत्रों को दाखिल करने की अन्तिम तिथि | 25.9.2009 |
| 3 | नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि | 26.9.2009 |
| 4 | अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अन्तिम तिथि | 29.9.2009 |
| 5 | मतदान की तिथि, यदि चुनाव आवश्यक हो | 13.10.2009 |
| 6 | मतों की गिनती की तारीख | 20.10.2009 |
| 7 | चुनाव सम्पन्न होने की तिथि | 25.10.2009 |

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60(बी) के अन्तर्गत राज्य में सभी
रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निवारक नजरबन्द मतदाताओं को डाक मतपत्र जारी करने होंगे । इस
संदर्भ में, आपका ध्यान निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 21 के उप-नियम (1) की
आर दिलाया जाता है, जिसके अनुसार चुनाव क्षेत्र के समाहृत होने की तिथि के 15 दिन के अन्दर
राज्य सरकार द्वारा सभी निवारक नजरबन्द मतदाताओं बारे सूचना जिसमें निवारक नजरबन्द
मतदाताओं के नाम, उनके डाक पते, मतदाता सूचियों में उनकी क्रम संख्या तथा नजर बन्द शिविर
के स्थान के बारे सूचना शामिल है, सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जानी
अनिवार्य है ।

3. अतः आपको उपरोक्त वर्णित अधिनियम/नियम के सम्बन्धित extract भेजते हुए
अनुरोध किया जाता है आप द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत तैयार की गई Consolidated सूचना
सभी सम्बन्धित उपायुक्तों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस कार्यालय के सूचना अधीन
भिजवाया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें । यदि सूचना शून्य हो, तो भी सूचित किया जाए ।

भवदीय,

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा ।

पृष्ठांकन क्रमांक निर्वाचन-2009/2ई - 7260

दिनांक: - 2-9-2009

इसकी एक प्रति राज्य में सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है। वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त सूचना प्राप्त होते ही उसे सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित समय के अन्दर भिजवा दिया गया है, ताकि वह इस बारे आवश्यक कार्यवाही समय पर कर सकें।



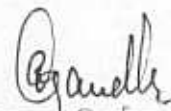
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा।

पृष्ठांकन क्रमांक निर्वाचन-2009/2ई - 7261

दिनांक: - 1-9-2009

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. राज्य में सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी।
2. राज्य में सभी निर्वाचन तहसीलदार / निर्वाचन उप तहसीलदार।



सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
कृते मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा।

For Internal Distribution:

1. P.O. Secy.
2. P.O. Adm. Secy.
3. Other with 3 copies